न्या0 श्री कुशेश्वर सिंकु, न्या0दण्डा0 प्रथम श्रेणी XX

परिवादी वाद संख्या 18086/2024

आदेश

12.12.2025 अभिलेख आज प्रस्तुत हुआ। इस वाद के परिवादी एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड की ओर से एक आवेदन देकर कथन किया गया है कि वह अपने वाद को वापस लेना चाहते हैं। इस वाद में दोनों पक्ष स्वतः न्यायालय के बाहर मामले में समझौता कर लिये हैं और परिवादी को अभियुक्त से अब कोई शिकायत नहीं है। परिवादी केस को आगे लड़ना नहीं चाहते हैं। अंत में निवेदन किया गया है कि वाद को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह वाद अभियुक्त **तिसा कुमारी** के विरुद्ध लाया गया है। तदुपरांत दिनांक 23.07.2024 को अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25 of the payment and settlement systems Act, 2007 के अन्तर्गत प्रथम दृष्ट्या मामला पाया गया है। दोनों पक्षों में सुलह हो गया है। अभियुक्त पर लगाई गई उपरोक्त धारा सुलहनीय एवं शमनीय है। अतः वाद रिकॉल करने की अनुमति प्रदान की जाय।

लेखापित

न्या. दण्डा.

पश्चात्

12.12.2025 वाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं तथा अपने आवेदन में कहे गये तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन करते हैं कि अभियुक्त से सुलह हो गया है तथा अब कोई शिकायत नहीं है और वे अपने परिवाद को वापस लेना चाहते हैं। परिवादी के आवेदन को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार इस वाद को निस्तारित किया जाता है। कार्यालय अभियुक्त के विरुद्ध निर्गत आदेशिकाएं बिना तामिला वापस मंगाये।

कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार, अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

न्या. दण्डा.